सत्यमेव जयते
Copy - Not Official

न्यायालय उपखंड अधिकारी, संगरिया (हनुमानगढ)

प्रकरण :- प्रा.प./251-ए RTA / 17-2023

गुरदत्त सिंह पुत्र चनन सिंह जटसिख सा. हरिपुरा .... प्रार्थी

बनाम

सोहन सिंह s/o बूटा सिंह, बलराज सिंह पुत्र नायब सिंह
मलकीत कौर पत्नी नायब सिंह, वीरपाल कौर पुत्री नायब सिंह
गुरतेज सिंह पुत्र चनन सिंह, नवज्योत सिंह पुत्र गुरदत्त सिंह
नत्था सिंह s/o बिशन सिंह, जसवीर सिंह s/o नंद सिंह .... अप्रार्थी / गण
मेजर सिंह s/o बन्ता सिंह, सोहन सिंह s/o बन्ता सिंह
मलकीत सिंह s/o इन्द्र सिंह वगैरह

उपस्थित :- श्री .... वकील प्रार्थी

श्री स्वयं उपस्थित .... वकील अप्राथी

-:: आदेश ::- दिनांक :- 1-6-2023

अंतर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

1. प्रार्थी द्वारा धारित भूमि चक
   संलग्न जमाबंदी खाता सं. 40/21 चक 4 DNG

2. अप्रार्थी के खेत / मुरब्बे की स्थिति
   संलग्न जमाबंदी खाता सं. 40/21, 100/5, 48/6, 36/6, 61/36, 57/55

3. प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की खातेदारी भूमि / मुरब्बे में चाहा गया रास्ता
   प.न. 187/130 (6) कि.नं. 21 में 82 X 16 फीट,
   प.न. 187/131 (9) कि.नं. 1,10,11,20,21 में 02-02 बिस्वा
   प.न. 187/132 (23) कि.न. 1 में 16 X 16 फीट

1/6/23
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
शिविर प्रभारी (SDO)
शिविर स्थल हरिपुरा

4. अप्रार्थी-गण का पक्ष :-

सभी सहमत हैं।
बिना प्रतिफल लिए रास्ते की
राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टि करने
बाबत प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर किये
गये हैं

5. नजरी नक्शा

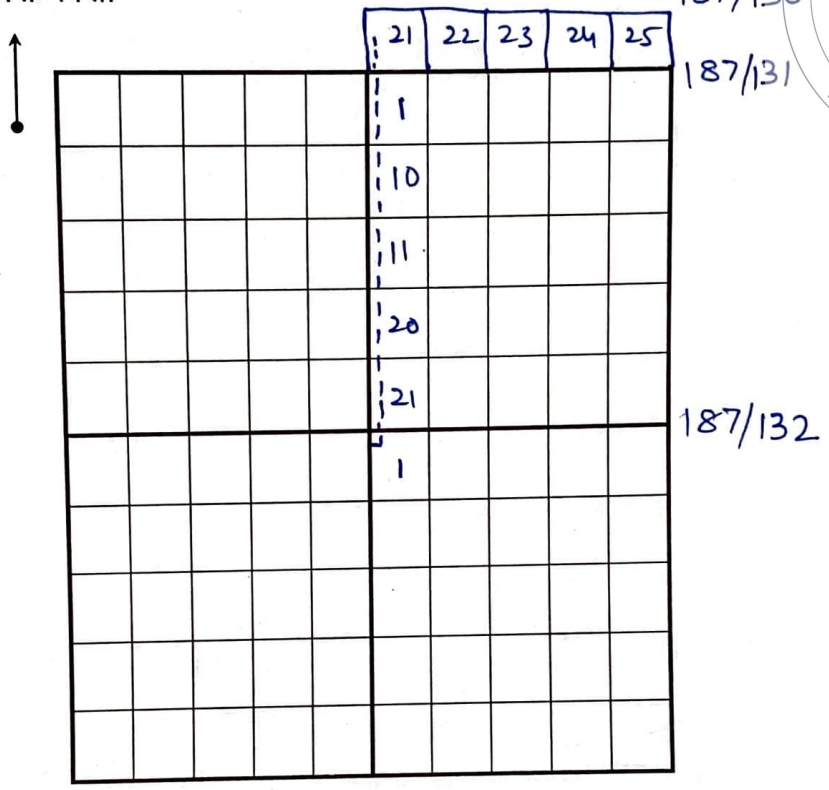

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

6. राजस्व अधिकारी की जांच :- रिपोर्ट दिनांक _____

मौका जांच में उपस्थित -- कैंप हरिपुरा में प्र.गो. के
संग अभियान 2023 में सभी ने
उपस्थित होकर आपसी सहमति
से आवेदन किया।

1/6/23

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
शिविर प्रभारी (SDO)
शिविर स्थल.. हरिपुरा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

7. तहसीलदार की टिप्पणी

रास्ते की आवश्यकता :- आत्यंतिक।

वैकल्पिक मार्ग अन्य कोई हो :- कोई नहीं।

चाहा गया रास्ता लघुत्तम मार्ग है :- हाँ, सभी के लिए आवश्यकतानुसार उपयोगी है।

अन्य कोई टिप्पणी :- —Nil—

8. क्या मामला पारस्परिक सहमति से तय हुआ है :- हाँ, सभी पक्षकार सहमत है।

9. **विनिश्चय**:- प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व उसके क्रम में अप्रार्थी / गण के प्रत्युत्तर व राजस्व अधिकारी की जांच के अनुसार, अप्रार्थी-गण ; उक्त प्रार्थना पत्र के विरूद्ध यह नहीं सिद्ध कर पाया है कि – आपसी सहमति है

- *प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता नहीं है ,*
- *मांगा गया रास्ता प्रार्थी द्वारा केवल सुविधा के उपभोग उपयोग के लिये ही चाहा जा रहा है ,*
- *प्रार्थी को अपनी जोत में पंहुचने का कोई अन्य वैकल्पिक मार्ग पहले से ही उपलब्ध है ।*

अत: एतद्द्वारा यह विनिश्चय किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया व तहसीलदार द्वारा सुझाया गया रास्ता तुल्य व लघुत्तम एवं आवश्यक है ।

1/6/23
SDO

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
शिविर प्रभारी (SDO)
शिविर स्थल...

10. **आदेश** :- प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता, चक 4 DNG के पत्थर न. ________ मुरब्बा न. _____ किला न. 187/131 (9) 1, 10, 11, 20, 21 / 0.025 है. प्रत्येक में __________ बिश्वा (हैक्टेयर 0.139) भूमि को गैर मुमकिन रास्ता घोषित किया जाता है । प्रार्थी द्वारा रास्ते की एवज में राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 70 (1)ii(a) के तहत भूमि की निर्धारित डी.एल.सी. दरों (राजस्थान स्टाम्प रूल्स 2004 के नियम 2, नियम 58 के अनुसार) की दुगुनी राशि, अप्रार्थी / गण को अदा की जायेगी । राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 70 (2) के तहत अप्रार्थी की भूमि पर कोई फसल, खड़े वृक्ष या संरचना इत्यादि कोई हो तो भू.अ.निरीक्षक इसका निर्धारण करके तहसीलदार को बतायेगा तथा तहसीलदार अपने तहसील राजस्व लेखाकार के माध्यम से इनकी पूर्ण गणना कर प्रार्थी से रास्ते की एवज में मुआवजा निर्धारित कर प्रार्थी / अप्रार्थी/गण को बतायेगा । अप्रार्थी / गण द्वारा राशि लेने से मना करने पर तहसीलदार राजस्व अमानत मद में राशि जरिये चालान जमा करायेगा ।

187/130 (6) 21 / 82X16 फीट

187/132 (23) कि. न. 1 / 16X16 फीट

लागू नहीं ।
1/6/2023
SDO

1/6/23
SDO

11. आदेश सुनाया गया ।

01/06/2023

(रमेश देव)
उपखंड अधिकारी (SDO)
संगरिया

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
शिविर प्रभारी
शिविर स्थल हरिपुरा

कैम्प : हरिपुरा

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official